

अनुदान संख्या 56 – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
GRANT No. 56 - MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
<i>प्रभारित-</i>	<i>Charged-</i>			
मूल	<i>Original</i>	88,22,00		
		92,22,00	92,44,43	+22,43
पूरक	<i>Supplementary</i>	4,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			शून्य Nil
<i>स्वीकृत-</i>	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i>	25509,93,00		
		33146,56,00	25008,37,18	-8138,18,82
पूरक	<i>Supplementary</i>	7636,63,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			107,76,00
पूंजीगत:	Capital:			
<i>प्रभारित-</i>	<i>Charged-</i>	101,16,00	87,73,88	-13,42,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			शून्य Nil
<i>स्वीकृत-</i>	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i>	16314,69,00		
		16914,76,00	15685,70,24	-1229,05,76
पूरक	<i>Supplementary</i>	600,07,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			535,57,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, यद्यपि ₹400.00 लाख का पूरक विनियोग दिसंबर, 2018 में प्राप्त किया गया था, फिर भी व्यय स्वीकृत विनियोग से ₹22.43 लाख

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, although supplementary *appropriation* of ₹400.00 lakhs was obtained in December, 2018, the

अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹ 22,43,039 था)। अधिक व्यय के लिए संसद द्वारा अनुदानों हेतु अधिक व्यय की मांग की सहमति द्वारा विनियमन अपेक्षित है।

expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by ₹22.43 lakhs (actual excess was ₹22,43,039). The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.

2. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में ₹32.00 लाख का विनियोग दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. The above excess was offset by savings of ₹32.00 lakhs which, however, remained wholly unutilised under two heads.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹813818.82 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹763663.00 लाख पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹813818.82 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹763663.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 25 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष "2058"	Major Head "2058"			
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	Stationery and Printing			
मू.	O.	30034.00		
पू.	S.	1.00	26941.00	24171.44
पु.	R.	-3094.00		-2769.56
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"			
लोक निर्माण कार्य	Public Works			
मू.	O.	202059.00		
पू.	S.	1107.00	196453.00	188000.61
पु.	R.	-6713.00		-8452.39

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"			
आवास	Housing			
मू.	O.	292510.00		
पू.	S.	202309.00	494019.00	285484.05
पु.	R.	-800.00		-208534.95
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"			
शहरी विकास	Urban Development			
मू.	O.	116750.00		
पू.	S.	51.00	104241.72	81780.24
पु.	R.	-12559.28		-22461.48
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2252"			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	115857.00		
पू.	S.	4500.00	50012.56	..
पु.	R.	-70344.44		-50012.56
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services			
मू.	O.	1508.00		
पू.	S.	24.00	3524.58	2814.94
पु.	R.	1992.58		-709.64
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	1748717.00		
पू.	S.	553620.00	2386561.14	1901397.87
पु.	R.	84224.14		-485163.27

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving— (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	---

शीर्ष Head	Head				
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	32970.00			
पू.	S.	2051.00	31521.00	6946.49	-24574.51
पु.	R.	-3500.00			

(I) ₹772257.00 लाख का प्रावधान (₹655000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) सोलह शीर्षों के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा: इनमें से ₹770753.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹772257.00 lakhs (including supplementary grant of ₹655000.00 lakhs) remained wholly unutilized under sixteen heads; of these ₹770753.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2216" - "शहरी आवास - आरक्षित निधियों/जमा लेखों अंतरण - केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अंतरण" - ₹200308.00 लाख के पूरक प्रावधान - लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2216" - "Urban Housing - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)" - supplementary provision of ₹200308.00 lakhs - due to non-finalisation of accounting procedure.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(B) Major Head "2552" -

(क) "शहरी आवास - अन्य अनुदान - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहर)" - ₹32938.00 लाख;

(a) "Urban Housing - Other Grants - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹32938.00 lakhs;

(ख) "जल आपूर्ति - शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम - शहरी अवसंरचना विकास परियोजना" - ₹14998.00 लाख;

(b) "Water Supply - Urban Water Supply Programme - Urban Infrastructure Development Projects" - ₹14998.00 lakhs;

(ग) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम - राष्ट्रीय शहरी आजीविका

(c) "Other General Economic Services - Urban Oriented Employment Programme - National Urban Livelihoods Mission

मिशन (एनयूएलएम)” – ₹7004.00 लाख (₹4366.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(NULM)”- ₹7004.00 lakhs (including supplementary grant of ₹4366.00 lakhs);

(घ) “केन्द्रीय सहायता – शेयर – स्वच्छ भारत मिशन” – ₹33179.00 लाख;

(d) “Central Assistance/Share - Swachh Bharat Mission” - ₹33179.00 lakhs;

(ङ) “पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पूल संसाधन-पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास योजना” – ₹19538.00 लाख;

(e) “Central Pool of Resouces for North East Region - North Eastern Region Urban Development Project (NERUDP)” - ₹19538.00 lakhs;

(च) “अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(f) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन” – ₹538.00 लाख (₹112.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(i) “National Urban Livelihoods Mission (NULM)”- ₹538.00 lakhs (including supplementary grant of ₹112.00 lakhs);

(ii) “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹10124.00 लाख; और

(ii) “Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)- ₹10124.00 lakhs; and

(छ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹1934.00 लाख ।

(g) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - ₹1934.00 lakhs.

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

Provisions under the above eight heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अंतरण” – ₹448242.00 लाख का पूरक प्रावधान; और

(C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts – Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)”- supplementary provision of ₹448242.00 lakhs; and

(घा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अंतरण” – ₹1950.00 लाख का पूरक प्रावधान ।

(D) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts – Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)”- supplementary provision of ₹1950.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किए गए पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्येक में दर्शाए गए सीमा तक अप्रयुक्त रहा:—

(का) मुख्य शीर्ष “2059” – “कार्यालय भवन – रख-रखाव एवं मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय” – ₹19900.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1000.00 लाख के पूरक अनुदान को प्राप्त करके बढ़ाकर ₹20900.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹274.67 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा – कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “2216” – “सामान्य पुल आवास – रख-रखाव एवं मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय” – ₹34840.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2000.00 लाख के पूरक अनुदान को प्राप्त करके बढ़ाकर ₹36840.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹349.24 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा – अंचलों मंडलों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर – स्वच्छ भारत मिशन” – ₹192022.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹50000.00 लाख के पूरक अनुदान को प्राप्त करके बढ़ाकर ₹242022.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹6985.97 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा – राज्य सरकारों से कम मांग की प्राप्ति होने के कारण थे।

(III) मुख्य शीर्ष “2058” के अन्तर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

(का) “लेखन सामग्री भंडारों की खरीद एवं पूर्ति – लेखन सामग्री नियंत्रक” – ₹1655.08 लाख की बचत (₹1.00 लाख

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalization of accounting procedure.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(A) Major Head “2059” - “Office Buildings - Maintenance and Repairs – Other Maintenance Expenditure”- the original provision of ₹19900.00 lakhs was augmented to ₹20900.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹274.67 lakhs – due to requirement of less funds by the implementing agencies.

(B) Major Head “2216” – “General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs – Other Maintenance Expenditure”- the original provision of ₹34840.00 lakhs was augmented to ₹36840.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹349.24 lakhs – due to receipt of less proposals from zones/divisions.

(C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share - Swachh Bharat Mission” - the original provision of ₹192022.00 lakhs was augmented to ₹242022.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹50000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹6985.97 lakhs - due to receipt of less demand from the State Governments.

(III) Under Major Head “2058”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Purchase and Supply of Stationery Stores - Controller of Stationery” - saving of ₹1655.08 lakhs

के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5716.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधित व्ययों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) “सरकारी मुद्रणालय – मुद्रण एवं मुद्रण मुद्रणालय निदेशालय” – ₹3817.50 लाख की बचत (₹20185.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने एवं स्थापना संबंधित व्ययों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2059” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई।

(का) “कार्यालय भवन” –

(क) “मशीनरी एवं उपस्कर नए आपूर्ति एवं मरम्मत” – ₹816.27 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामग्री, आपूर्ति, भंडारों एवं उपस्कर से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और अचलों/मंडलों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) “रख-रखाव एवं मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना” – ₹1274.76 लाख की बचत (₹16100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में रिक्त पदों को भरे न जाने और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) “सामान्य” – “निदेशन एवं प्रशासन” –

(क) “निष्पादन” – ₹821.26 लाख की बचत (₹6960.65 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) “केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्थापना” – ₹10123.08 लाख की बचत (₹113370.35 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(against the total sanctioned provision of ₹5716.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(B) “Government Presses – Directorate of Printing and Printing Presses” - saving of ₹3817.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20185.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards establishment related expenses.

(IV) Under Major Head “2059”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Office Buildings” -

(a) “Machinery and Equipments – New Supplies and Repairs” – saving of ₹816.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of material, supplies, stores and equipments and receipt of less proposals from zones/divisions.

(b) “Maintenance and Repairs – Work Charged Establishment” – saving of ₹1274.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16100.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts in Central Public Works Department and requirement of less funds towards payment to work charged staff.

(B) “General - Direction and Administration” –

(a) “Execution” – saving of ₹821.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6960.65 lakhs); and

(b) “CPWD Establishment” – saving of ₹10123.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹113370.35 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में रिक्त पदों को न भरे जाने एवं स्थापना संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2216” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “शहरी आवास” -

(क) “निर्देशन एवं प्रशासन - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” - ₹864.52 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी व्ययों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) “सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” - ₹4998.25 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹198859.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांगों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) “सामान्य पूल आवास” -

(क) “रख-रखाव एवं मरम्मत - कार्य प्रभारित स्थापना” - ₹500.19 लाख की बचत (₹18500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के भुगतान संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) “अन्य व्यय - सम्पदा निदेशालय” - ₹743.86 लाख की बचत (₹6839.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी व्ययों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts in Central Public Works Department and requirement of less funds towards establishment related expenses.

(V) Under Major Head “2216” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Urban Housing” -

(a) “Direction and Administration - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - saving of ₹864.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(b) “Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - saving of ₹4998.25 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹198859.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(B) “General Pool Accommodation” -

(a) “Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment” - saving of ₹500.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards payment to work charged staff.

(b) “Other Expenditure - Directorate of Estates” - saving of ₹743.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6839.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(VI) मुख्य शीर्ष “2217” – “अन्य शहरी विकास स्कीमें” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “निदेशन एवं प्रशासन – स्वच्छ भारत मिशन” – ₹7673.43 लाख की बचत (₹17179.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) “स्थानीय निकायों/निगमों – शहरी विकास प्राधिकरणों, शहर सुधार बोर्डों आदि को सहायता” –

(क) “राष्ट्रीय धरोहर नगर कार्यक्रम” – ₹1113.90 लाख की बचत (₹16150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम निविदाकृत लागत की वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने एवं कार्य के दायरे का युक्तिकरण होने के कारण हुई।

(ख) “100 स्मार्ट सीटी के लिए मिशन” – ₹13022.33 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹47901.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग की प्राप्ति होने और स्कीम के घटक “क्षमता निर्माण” के समाप्त होने के कारण हुई।

(ग) “शहरी जीर्णोद्धार मिशन – 500 हेविटेंड्स (एएमआरयूटी)” – ₹15203.15 लाख की बचत (₹18500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग/दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर – 100 स्मार्ट सीटी के लिए मिशन” – ₹1022.00 लाख की बचत (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹559402.00 लाख के कुल

(VI) Under Major Head “2217” - “Other Urban Development Schemes”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - Swachh Bharat Mission” – saving of ₹7673.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17179.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(B) “Assistance to Local Bodies/Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc.”-

(a) “National Heritage Cities Programme” – saving of ₹1113.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16150.00 lakhs) was due to requirement of less funds on account of less tendered cost and rationalisation of scope of work.

(b) “Mission for 100 Smart Cities” – saving of ₹13022.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹47901.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to receipt of less demand from the implementing agencies and discontinuation of “Capacity Building” component of the scheme.

(c) “Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)” – saving of ₹15203.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18500.00 lakhs) was due to receipt of less demand/claims from the implementing agencies.

(VII) Under Major Head “3601” – “Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share – Mission for 100 Smart Cities” – saving of ₹1022.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹559402.00 lakhs including token supplementary

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “स्वच्छ भारत मिशन” – ₹2307.50 लाख की बचत (₹7620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) “100 स्मार्ट सीटी के लिए मिशन” – ₹9301.00 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9601.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) “शहरी जीर्णोद्धार मिशन – 500 हेविटेंट्स (एएमआरयूटी)” – ₹13529.00 लाख की बचत (₹13700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम मांग/प्रस्तावों/दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(IX) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹1803.03 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक लेकिन ₹500.00 से कम और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत से 44 प्रतिशत थीं।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹21227.76 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर” के अंतर्गत, निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹553618.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) “शहरी जीर्णोद्धार मिशन – 500 हेविटेंट्स (एएमआरयूटी)” – ₹16290.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹7015.47 लाख था।

grant of ₹2.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the State Governments.

(VIII) Under Major Head “3602” – “Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Swachh Bharat Mission” – saving of ₹2307.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7620.00 lakhs);

(B) “Mission for 100 Smart Cities” - saving of ₹9301.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9601.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(C) “Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)”- saving of ₹13529.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13700.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less demand/proposals/claims from the Union Territory Governments.

(IX) Under five heads savings of ₹1803.03 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 18 percent to 44 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly (₹21227.76 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹553618.00 lakhs under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/ Share” – under the following heads:-

(A) “Urban Rejuvenation Mission – 500 Habitations (AMRUT)” – ₹16290.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7015.47 lakhs.

(खा) “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन” – ₹4937.76 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4659.26 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं।

(का) मुख्य शीर्ष “2059” – “सामान्य – अन्य व्यय – राजघाट समाधि समिति” – ₹595.38 लाख का अधिक व्यय (₹774.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय न्यायालय आदेश के तहत विविध कार्यों के निष्पादन से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2217” – “अन्य शहरी विकास स्कीमें – अन्य व्यय – शहरी निर्माण विकास परियोजनाएं” – ₹3400.72 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “3475” – “शहरी रोजगार उन्मुख कार्यक्रम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन” – ₹1282.94 लाख का अधिक व्यय (₹24.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1532.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(घा) मुख्य शीर्ष “3601” –

(क) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें”

(i) “केन्द्रीय सहायता/शेयर” –

(1) “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹9646.58 लाख का अधिक व्यय (₹242903.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(2) “पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजनाएं” – ₹17170.61 लाख का अधिक व्यय (₹2.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(B) “National Urban Livelihoods Mission” – ₹4937.76 lakhs. Actual excess, however, was ₹4659.26 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2059” – “General – Other Expenditure – Rajghat Samadhi Committee”- excess of ₹595.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹774.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards execution of various works as per Hon'ble Court orders.

(B) Major Head “2217” – “Other Urban Development Schemes - Other Expenditure - Urban Infrastructure Development Projects” – excess of ₹3400.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh);

(C) Major Head “3475” - “Urban Oriental Employment Programmes - National Urban Livelihoods Mission (NULM)” - excess of ₹1282.94 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1532.00 lakhs including supplementary grant of ₹24.00 lakhs);

(D) Major Head “3601” –

(a) “Centrally Sponsored Schemes” –

(i) “Central Assistance/Share”-

(1) “Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” – excess of ₹9646.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹242903.00 lakhs);

(2) “North Eastern Region Urban Development Project (NERUDP)” – excess of ₹17170.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2.00 lakhs);

(ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – शहरी आवास – अन्य अनुदान” – ₹3966.94 लाख का अधिक व्यय (₹134827.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना);

(iii) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – शहरी आवास – अन्य अनुदान” – ₹1338.55 लाख का अधिक व्यय (₹25516.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना); और

(ख) “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पूल संसंधान – पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य में शहरी अवसंरचना विकास परियोजनाएं” – ₹10997.71 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना)।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

(ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes – Urban Housing – Other Grants” - excess of ₹3966.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹134827.00 lakhs);

(iii) “Tribal Area Sub-Plan – Urban Housing – Other Grants”- excess of ₹1338.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25516.00 lakhs); and

(b) “Other Transfer/Grants to States - Central Pool of Resources for North East Region – Urban Infrastructure Development Project in North Eastern States” - excess of ₹10997.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh).

Excess under the above seven heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
मुख्य शीर्ष “4216”	Major Head “4216”			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing	4616.00	3368.31	-1247.69

(I) “सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – राष्ट्रपति का सम्पदा” – ₹1089.29 लाख की बचत (₹4316.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) चालू कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

6. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹122905.76 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹60007.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

(I) Under “Government Residential Buildings – Other Housing – President’s Estate” - saving of ₹1089.29 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹4316.00 lakhs) was due to slow pace of ongoing works.

6. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹122905.76 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹60007.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष “4059”	Major Head “4059”			
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	65000.00		
पू.	S.	2.00	63274.00	62006.33
पु.	R.	-1728.00		-1267.67
मुख्य शीर्ष “4216”	Major Head “4216”			
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	71859.00		
पू.	S.	1.00	70031.00	68325.29
पु.	R.	-1829.00		-1705.71

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"			
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development			
मू.	O.	300000.00		
		250000.00	244100.00	-5900.00
पू.	R.	-50000.00		
मुख्य शीर्ष "4250"	Major Head "4250"			
अन्य सामाजिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Social Services			
मू.	O.	2000.00		
		2003.00	1650.50	-352.50
पू.	S.	3.00		
मुख्य शीर्ष "6217"	Major Head "6217"			
शहरी विकास के लिए कर्ज	Loans for Urban Development			
मू.	O.	1192360.00		
		1252360.00	1192360.00	-60000.00
पू.	S.	60000.00		

(I) ₹50.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹50.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "6217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को कर्ज - एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं" - ₹1192360.00 लाख का मूल प्रावधान ₹60000.00 लाख के पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1252360.00 लाख का दिया गया। जो, तथापि, ₹60000.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रस्तावों के अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "6217" - "Other Urban Development Schemes - Loans to Public Sector and Other Undertakings - MRTS and Metro Projects" - the original provision of ₹1192360.00 lakhs was augmented to ₹1252360.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹60000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹60000.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of proposals.

(III) मुख्य शीर्ष “4059” – “सामान्य – निर्माण” – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(का) “खनिज” – ₹825.25 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एंजेसियों से कम मांग की प्राप्ति होने के कारण थे।

(खा) “अन्य मंत्रालयों/विभागों का कार्यालय भवन” – ₹1475.44 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹40101.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IV) मुख्य शीर्ष “4216” – “सरकारी आवासीय भवन” – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(क) “अन्य आवास – आवास” – ₹2107.22 लाख की बचत (₹17349.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एंजेसियों से कम मांग की प्राप्ति होने और ग्राहक विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण हुईं।

(ख) “सामान्य पूल आवास – शहरी विकास – निर्माण” – ₹1427.49 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹54511.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अचलों/मंडलों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष “4217” – “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश – एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं” – ₹55900.00 लाख की बचत (₹65900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार से मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए अनुमोदन विलंब से प्राप्ति

(III) Under Major Head “4059” – “General - Construction” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Mines”- saving of ₹825.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(B) “Office Building of Other Ministries/ Departments” – saving of ₹1475.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹40101.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(IV) Under Major Head “4216” - “Government Residential Buildings” - savings occurred under the following heads:-

(a) “Other Housing – Housing” - saving of ₹2107.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17349.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less demand from the implementing agencies and non-receipt of administrative approval and expenditure sanction from the client department.

(b) “General Pool Accommodation – Urban Development - Construction” - saving of ₹1427.49 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹54511.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to receipt of less proposals from zones/divisions.

(V) Under Major Head “4217”- “National Capital Region - Investments in Public Sector and Other Undertakings – MRTS and Metro Projects” - saving of ₹55900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹65900.00 lakhs) was due to late receipt of approval for Metro Rail Projects from the

होने और स्कीम की अंतर्गत कम मांग की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “4250” – “रोजगार – भवन” – ₹822.35 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू परियोजनाओं की धीमी गति होने और प्रशासनिक अनुमोदन की प्राप्ति न होने और ग्राहक विभाग से व्यय की स्वीकृति होने के कारण हुई।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹374.67 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थी।

7. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹499.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “4250” – “श्रम – भवन” के अंतर्गत ₹3.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹469.85 लाख था।

8. सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग की मूल्यहास आरक्षित निधि:-

सरकार की मूल्यहास आरक्षित निधि (गैर-वाणिज्यिक विभाग) का गठन संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर के नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित लागत को पूरा करने के उद्देश्य से आरक्षित पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक पद्धति को शुरू करने के लिए किया गया था ताकि मुद्रणालय को स्वतः कुशल कार्यस्थिति में रखा जा सके। मूल्यहास की गणना मुद्रणालय के कार्य मात्रा उत्पादन में उपयोग हो चुकी परिसंपत्तियों के मूल्य पर की जाती है। तदनुसार, निधि में इतनी धनराशि होगी जो सामान्य टूट-फूट पर खर्च होने वाली पूंजी की तुलना में पर्याप्त होगी। निधि को सरकारी लेखों में जमा के रूप में माना जाएगा और निधि को देय प्राप्तियों को वर्ष के दौरान ज्ञात की गई मूल्यहास की वास्तविक राशि के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों की समाप्ति से ठीक पहले जमा कर देना होगा। बचत प्रावधान विभाग की सूचना के आधार पर किया जाता है। सरकारी मुद्रणालयों में मूल्यहास निधि की नियमावली के नियम 4 के

Government and receipt of less demand under the scheme.

(VI) Under Major Head “4250” – “Employment - Buildings” - saving of ₹822.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to slow pace of ongoing projects and non-receipt of administrative approval and expenditure sanction from the client department.

(VII) Under one head saving of ₹374.67 lakhs occurred constituting 34 percent of the sanctioned provision.

7. The above savings were partly (₹499.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs under Major Head “4250” - “Labour - Buildings”. Actual excess, however, was ₹469.85 lakhs.

8. Depreciation Reserve Fund of Government Non-commercial department:-

Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) was constituted for introducing the commercial practice to provide a reserve sufficient fund to meet the required cost for renewal and replacement of plant, machinery and furniture so that the Press may be kept automatically in an efficient working condition. Depreciation is calculated on the value of assets which had been used in producing the outturn of the Press. The Fund will accordingly contain an amount of money sufficient to replace the capital consumed by normal wear and tear. The Fund shall be treated as a deposit in the Government accounts and receipts due to the Fund shall be credited immediately prior to the closing of the accounts of each financial year on the basis of the actual amount of depreciation worked out during the year. Budget provision is made on the basis of

अनुसार समय-समय पर उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज को निधि में इसलिए जमा नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकारी मुद्रणालयों में लागत प्रणाली में ब्याज की गणना मूल पूंजीगत मूल्य पर नहीं बल्कि ह्रासित पूंजीगत मूल्य पर ही की जाती है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार निधि से व्यय शुरू में उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाना चाहिए और वर्ष के अंत में उतनी ही राशि जमा लेखा मूल्यह्रास निधि से विस्तृत शीर्ष को अंतरित की जाएगी।

intimation from the Department. As per Rule 4 of Rules for the Depreciation Fund in Government Presses, interest on the balances in hand from time to time will not be credited to the fund owing to the fact that the costing system in Government Presses includes a calculation of interest, not on the original capital value, but on the depreciated capital value only. Further as per Rule 6 of the said Rules, Expenditure from the Fund must be accounted for in the first instance under the appropriate detailed head and at the end of the year an equivalent sum will be transferred from the Deposit Head Depreciation Fund to the detailed head.

वर्ष 2018-2019 के लिए सरकार की मूल्यह्रास आरक्षित निधि (गैर-वाणिज्यिक विभाग) का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) for 2018-2019 was as follows:-

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	35,19,33
प्राप्तियां	Receipts	6,45,13
अदायगियां	Payments	..
अंतशेष	Closing Balance	41,64,46